17/1





The Gazette of India

ATIVERY & ASSISTED BY AUTHORITY

ਲੱ≎ 1] No.11 मई बिस्सी, शतिबार, जनवरी 5, 1985/पौप 15, 1986 NEW DEUHI, SATURDAY, JANUARY 5, 1985/PAUSA 15, 1906

इस माग में भिरम पृथ्ठ संक्या दी बाली है जिससे कि यह बसय संकलन के रूप में रखी बा सुबे

Separate puging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) मारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आवेश, उपनिषम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1984

ता बना बनि के निर्माण कार्य पढ़िता के अनुष्केव 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरवार वस्त्रमभाई पटेल राष्ट्रीय जुलिस अकारमी, सहायक निर्देशक (प्रशिक्षण कार्य पढ़ित) भर्ती नियम, 1982 का संगोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्यात्ः---

- मंक्षिप्त नाम भौर प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सरकार बस्लक्षभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस प्रकादमी, सङ्गायक निदेशक (प्रक्रिक्षण पूर्व पद्मित) मर्ती (संबोधन) नियम, 1984 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ्रि 2. सरवार बल्लभाभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस श्रकादमी, सहायक निवेशक (श्रशिक्षण कार्य पद्धति) मर्ती नियम, 1982 के स्तम्भ ७ के नीचे की प्रकिष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, थर्यात्:---
 - "भावश्यक :---(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनीविज्ञान या ग्रीक्षणिक मनोविज्ञान में मास्टर की कियी या समतुत्य।
 - (ji) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समतुल्य।
 - (iii) किसी मान्यताधाप्त शिक्षा/प्रशिक्षण संस्थान, अधिमानतः विग्री महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण का पांच वर्ष का प्रनुभव ।

टिप्पणी : 1---प्रहेताएं, यत्यया सुप्रहित अध्यायिं की दशा में संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेकानुसार विध्यल की जा सकती हैं।

- टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अहंता (शहंताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुमूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षि की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी अकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरते के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यक्षी पर्याप्त संस्था में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वालिनीय:—(i) अनुस्थान पद्धति और वार्य पद्धति का आने।
 - (ii) भैदाणिक /प्रशिक्षण मनोविज्ञान में प्रकाशिन श्रनुसंधान कार्य ।"

सिंही-12016/8/81-थ. एत.एस. शर्मा, भवर स. In case of rectt, by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

If a D.P.C. exists what is its composition

Cricumstances in which th U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.

Consultation with the UPSC

necessary while making, promotion and direct. recruitment.

12

Promotion

Health Education Officer (Teacher), Health Education Officer(Teachers' Training) and Health Education Officer (Primary Education, year regular service in the respective grade (1) Group 'A' DPC (for considering promotion):-

13

- (i) Chairman/Member, U.P.S.C.—Chairman.
- (ii) Joint Secretary/Director, Ministry of Health and Family Welfare—Member.
- (iii) Director (CHEB), Directorate General of Health Services—Member.
- (2) Group 'A' DPC (for considering confirmation):-
- (i) Joint Secretary/Director, Ministry of Health and Family Welfare—Chairman.
- (ii) Director (CHEB), Directorate General of Health Services—Member.
- (iii) Director (A&V), Directorate General of Health Services -- Member.

Note:—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No, A-12018/18/79-(HQ) Adm 1 I/Es tf] J.C. DUTT, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 1981

सा. का. नि. 17 .--भारत के संविधान के धनुष्ठिव 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति एनद्हारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम [उप महायक निदेशक (भंडार)] धौर राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (भंडार प्रधिकारी) भर्ती नियम 1977 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखिन नियम बनाते है, प्रथात् .--

- 1 (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम [उन महापक निदेशक (भंडार)] ग्रीर राष्ट्रीय संवारी रोग संस्थान (गडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 है।
- (2) ये सरकारी राज्ञपत्र में प्रकाशित होने की नारीचा से प्रमुत्त होंसे।

2. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम [उप सहायक निदेशक (भंडार)] ग्रीर राष्ट्रीय संज्ञारी रांग संस्थान (भंडार अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूत्री में कम संख्या 1 ग्रीर 2 वाले पदों के ग्रार्ग स्तम्भ 6 में कोष्टक ग्रीर शब्द "(सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)" के स्थान पर "(फंन्द्रीय सरकार द्वारी जारी किए गए ग्रनुदेशों ग्रीर ग्रादेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)" कोष्टक ग्रीर शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[संक्या ए-12018/1/84-पी. एच. (सी.क्वी.एन)/मले.] के. चंद्रमौलि, ग्रवर सचिव

नोट. मूल नियम भारत के राजपत्न के भाग H, खंड 3, उप-खंड (i) में 24-6-1978 के मा. का. नि. संश्या 822 के तहन प्रकाशित हुए **पे** 1

New Delhi, the 11th December, 1984

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to amend the National Malaria eradication Programme [Deputy Assistant Director (Stores)] and the National Institute of Communi-

cable Diseases (Stores Officer) Recruitment Rules, 1977, namely:—

- (1) These rules may be called the National Malaria eradication Programme, [Deputy Assistant Director (Stores)] and National Institute of Communicable Diseases (Stores Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,
- 2. In the Schedule to the National Malaria eradication Programme [Deputy Assistant Director (Stores)] and the National Institute of Communicable Diseases (Stores Officer) Recruitment Rules, 1977, against each of the posts at serial number 1 to 2, in column 6 for the brackets and words "(Relaxable for Government Servants)", the brackets and words "(Relaxable for Government servants by five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)" shall be substituted.

[No. A-12018/1/84-PH (CDL)-MAL]
K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

NOTE.—Principal rules were published in part II Section 3 sub-section (i) of the Gazette of India vide GSR. No. 822 dated 24-6-1978,

स्वता और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 1984

सा. का. न. 18 .---राष्ट्रपति संविधान के धनुष्छेद 309 के परम्तुक द्वारा प्रवत्त प्रक्तियों का प्रयोग करने हुए, धाकाशवाणी (समूह "ग") मर्ती नियम, 1964 का घौर संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयातु .--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्राकाशकाणी (समृह "ग") धर्ती प् (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 2. ग्राकाशवाणी (समृह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की ग्रनुसूची
- (क) क्रम सं. 57(i) के सामने, स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् .--

"ग्राशलिपि श्रेणीं 2" ग्रौर

(ii) स्तंभ 13 की प्रविष्टि के स्थान पर, निस्निखिन प्रविष्टि रखो जाएगी, ग्रर्थात् .-

"ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 3 जिन्होंने 330-10-380 द.रो.-12-500-द. रो.-15-560 रुपये के वैतनमान में उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेका की है।"

(ख) क. सं. 58 के सामने, स्तंभ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, ग्रर्थात् .---। "ग्राशुलिपिक श्रेणी 3"।

सिं. 9/18/83-एस-II(की)ए

पी. एसं. टोकस, अवर सन्वि

टिप्पण . स्नाकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 नामक मूल नियम मा. का. नि. 1776 तारीख 30-11-1964 द्वारा अधिमुनित किए गए थे और तत्पन्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

- ग्रिधसूचना सं. 11/5/64-बी(ए) तारीख 9-8-1965
- ग्रिधसूचना सं. 5/2/67-बी(ए) तारीख 20-3-1967
- अधिसूचना सं 7/2/68-बी(ए) तारीख 14-6-68
- 4: अधिमुचना सं. 7/8/66-बी(ए) तारीख 31-1-1970
- अधिमूचना स. 20/8/67-बी(ए) तारीख 24-2-1970
- अधिमुचना सं. 16/20/69-बी (डी) तारीख 30-3-1970
- 7. ग्रिधसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख 18-3-1971 .
- अधिसूचना सं. 1/8/71-बी(ए) तारीख 29-1-1972
- ग्रियाचिम् चना सं. 1/8/71-वी(ए) तारीख
- 10. ग्रधिसूचना सं. 1/11/71-बी(ए) तारीख 5-5-1972
- 11. ग्रधिस्चना सं. 1/4/72-बी(ए) तारीख 16-6-1972
- 12. ग्रधिसूचना स. 1/7/71-बी(ए) तारीख 14-11-1972
- 13. प्रधिसूचना सं. 1/6/73-बी(ए), तारीख 23-5-1973
- 14. ब्रिश्चना सं. 1/11/73-की(एं) तारीख 29-6-1973
- 15 अधिसूचना सं. 1/5/73-बी(ए) तारीख
- 16. ग्रधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए) तारीख 15-5-1974
- 17. ग्रधिसूचना सं. 1/7/70-बी(ए) तारीख
- 18. ग्रिधसूचना सं. 1/3/74-बी(ए) तारीख 21-5-1976
- 19. ग्रधिसूचना सं. 12019/1/78-बी(ए) तारीख 17-12-1980
- 20. ग्रधिसूचना सं. 12019/3/80-बी(ए) तारीख
- 21. अधिसूचना सं. 12019/8/81-बी(ए) तारीख 17-5-1982 सा. का. नि:-526, तारीख 5-6-82
- 22. ग्रधिसूचना सं. 12019/4/81-बी(ए) तारीख 11-4-1983
- 23. ग्रयधसूचना सं. 45011/83/82-बी(ए) तारीख 19-9-1983
- 24. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी(ए) तारीख 26-12-1983
- 25. अधिसूचना सं. 7/19/83-ए आर बी (ए) तारीख 3-7-1984 1266 GI/84-8

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th December, 1984

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1984, *namely:-

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C') Recruitment (Second Amendment) (Group 'C') Rules, 1984.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Group posts) Recruitment Rules, 1964,-
 - (a) against serial-No. 57 (i) for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely:—

"Stenograher Grade II" and

- (ii) for the entry in column 13, the following entry shall be substituted, namely:—
- "Stenographer Grade III in the scale of Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 having at least 5 years regular service in the Grade".
- (b) against serial No. 58 for the entry in column 2, the following entry shall be substituted, namely: 'Stenographer Grade III".

[No. 9/18/83-S. II/B (A)] P. S. TOKAS, Under Secy.

*Note.—Principal Rules called the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964, and subsequently the following amendments have been notified.

- 1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
- 2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967
- 3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968.
- 4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
- 5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
- 6. Notification No. 16/20/69-B(D), dated 30-3-1970
- · 7. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971 8. Notification No. 1/8/71/B(A), dated 29-1-1972
- 9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972
- 10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972 11. Notification No., 1/7/72-B(A), dated 16-6-1972
- 12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
- 13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 25-3-1973
- 14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
- 15. Notification No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
- 16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974
- 17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974
- 18. Notification No., 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976
- 19. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
- 20. Notification No. 12019/3/80-B(A), dated 27-4-1981
- Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982 (GSR 526 dated 5-6-1982)
- 22. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
- 23. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 19-9-1983
- 24. Notification No. 45011/83/82-B(A), dated 26-12-1983
- 25. Notification No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984